

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02092021-229356 CG-DL-W-02092021-229356

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, अगस्त 22 - अगस्त 28, 2021, शनिवार/ श्रावण 31- भाद्र 6, 1943 No. 29] NEW DELHI, AUGUST 22 - AUGUST 28, 2021, SATURDAY/ SRAVANA 31 - BHADRA 6, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(राष्ट्रपति भवन)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

सा.का.िन. 99.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, और मंत्रिमंडल सिचवालय समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उनका संबंध स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, मंत्रिमंडल सिचवालय में स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-III) और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

4555 GI/2021 (783)

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

सा.का.नि. 101.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय सर्वेक्षण सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण, सहायक निदेशक (राजभाषा) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- **2**. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (**2**) से स्तंभ **(4)** में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	3 (2021)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, अनुसचिवीय, समूह 'क', राजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (56100-177500 रू.)	चयन	लागू नहीं होता

व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)

वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रू.44900-142400) में ज्येष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली से अनुवाद में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारो या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वशासी अथवा कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्थान का ऐसा अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 8 (रू. 47600-151100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उ संरचना	इसकी	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रू.44900-142400) में ज्येष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली से अनुवाद में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे:- वार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। प्रितिनुषुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): प्रितिनुषुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारो या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वशासी अथवा कानूनी संगठन या पिल्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्थान का ऐसा अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 9 (रू. 53100- 167800) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रू. 47600-151100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या	(11)	(12)		(13)
(III) जिसन मूल कोडर यो विभाग में वर्तन मैट्रिक्स के स्तर- 7 (रू. 44900- 142400) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और	प्रोन्नितः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रू.44900- 142400) में ज्येष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली से अनुवाद में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। प्रितिनेयुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारो या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वशासी अथवा कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्थान का ऐसा अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हो; या (ii) जिसने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 9 (रू. 53100- 167800) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रू. 47600- 151100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिसने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 7 (रू. 44900- 142400) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित हैं 1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य 2. भारत का महासर्वेक्षक 3. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 4. उप महासर्वेक्षक समूह 'क' विभागीय पृष्टि समिति(पृष्टि के विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे 1- भारत का महासर्वेक्षक 2- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का संबंधित निदेशक या उप सचिव 3- उप महासर्वेक्षक	तेंगे:अध्यक्ष -सदस्य -सदस्य -सदस्य संबंध में :अध्यक्ष -सदस्य	पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:

आवश्यक अर्हताएं :

- 1. जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेज़ी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या
- 2. जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अंग्रेज़ी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या
- 3. जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिंदी माध्यम से हिंदी या अंग्रेज़ी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेज़ी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या
- 4. जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अंग्रेज़ी माध्यम से हिंदी या अंग्रेज़ी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या
- 5. जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिंदी या अंग्रेज़ी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेज़ी और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या इन दोनो में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और

आवश्यक अनुभव :

- 1. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वशासी निकाय या कानूनी संगठनों या पिब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थाओं के अधीन हिंदी में शब्दावली (शब्दावली कार्य) का प्रयोग करने या लागू करने और अंग्रेज़ी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव, जिसमे तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमान्यता दी जाएगी; या
- 2. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या

स्वशासी निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थाओ के अधीन हिंदी और अंग्रेज़ी में अध्यापन का हिंदी या अंग्रेज़ी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय अर्हता :

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वी कक्षा के स्तर पर भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में समाविष्ट भाषाओं में से, हिंदी से भिन्न किसी एक का अध्ययन किया हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

> [फा. सं. एस एम/01/09/2018] विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 10th March, 2021

- **G.S.R. 101.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Survey of India, Assistant Director (Official Language) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) in the Survey of India, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Survey of India, Assistant Director (Official Language) Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualification.** No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether Selection or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Official Language)	3 (2021)* Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100- 177500)	Selection	Not applicable.

Educational and other	Whether age and	Period of probation, If	Method of recruitment, whether by
qualifications required for	educational qualifications	any	direct recruitment or by promotion
direct recruits	prescribed for direct		or by deputation/ absorption and
	recruits will apply in the		percentage of the vacancies to be
	case of promotees		filled by various methods
	-		
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion failing which by deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or If a Departmental Promotion Committee Circumstances in which Union Public deputation/absorption, grades from which exists, what is its composition. promotion or deputation/absorption to be Service Commission is to be consulted in made. making recruitment. (11)(12)(13)**Promotion: 'A' Departmental** Consultation Group **Promotion** with Committee (for considering promotion) Union Public Service Senior Translator in level-7 in the pay matrix consisting of:-Commission is (Rs. 44900-142400) with three years of necessary for regular service in the grade and having 1. Chairman or Member Union Public Service appointment to the successfully completed four weeks of training Commission - Chairman; post on each occasion. in translation from Central Translation 2. Surveyor General of India -Member; Bureau, New Delhi. 3. Joint Secretary, Department of Science and **Deputation** (including short term Technology -Member; contract): 4. Deputy Surveyor General -Member. Officer of the Central Government or State Governments or Union territory Group 'A' Departmental Confirmation Administration or autonomous or statutory **Committee** (for considering confirmation) organisation or public sector undertaking or consisting of :recognised University or institute or research 1. Surveyor General of India -Chairman; institution: 2. Director or Deputy Secretary concerned of (a)(i)holding analogous post on regular basis Department of Science and in the parent cadre or department; or Technology -Member; (ii) with two years service in the grade 3. Deputy Surveyor General -Member; rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-9 in the pay matrix 4. Director (on rotation) -Member. (Rs. 53100-167800) or level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level-7 in the matrix(Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential Qualifications:** 1. Masters Degree of a recognised University or institute in Hindi with English as compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or 2. Masters Degree of a recognised University or institute in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or 3. Masters Degree of a recognised University or institute in any subject other than English or Hindi, with Hindi medium, and English as a compulsory or elective subject or as medium of examination at the degree level; or 4. Masters Degree of a recognised University or institute in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as

compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; or

5. Masters Degree of a recognised University or institute in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level.

Essential Experience:

- 1. Three years experience of using or applying Terminology (terminology work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research or educational institutions. or
- 2. Three years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.

Desirable Qualification:

Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule of the Indian Constitution at 10th class level from a recognised Board.

Note1: Where juniors who completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three

years.
Note 4: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of eccipt of applications.

[F. No. SM/01/09/2018]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2021

सा.का.िन. 102.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानिचत्रण संगठन (समूह "ग" और "घ" पद) भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक कि उनका संबंध क्षेत्र सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानिचत्रण संगठन में क्षेत्र सहायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, क्षेत्र सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे I
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं I
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु- सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता .—वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी I
- 6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।